

संख्या 11030/11/77-अ०भा०से०(11)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून 1978

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों में शीर्षस्थ पदों पर भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति - वेतन का नियमन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने अपनी दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के कार्यालय शेष संख्या 2(104)/77-बो०पो०(जो०एम०-1) (प्रति संलग्न) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्षस्थ पदों प्रतिनियुक्ति केन्द्रिय सरकारों कर्मचारियों के वेतन के नियमन के संबंध में अनुरोध जारी किए हैं । भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के उन सभी अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो पूर्णतः अथवा मूलतः से केन्द्रिय सरकार के स्वामित्व अथवा केन्द्रिय सरकार द्वारा नियन्त्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे पदों पर प्रतिनियुक्त हैं ।

इसे वित्त मंत्रालय को सहमति से उनको अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 4092/डि०-11/11/78-4 के संदर्भ में जारी किया जाता है ।

भक्तोप,

(के०के० जैसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या 11030/11/77-अ०भा०से०(11) नई दिल्ली, दिनांक जून, 1978

सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :-

- 1- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- 2- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
- 3- महालेखाकार, केन्द्रिय राजस्व, नई दिल्ली/महालेखाकार सो०डब्ल्यू० एम्० नई दिल्ली ।
- 4- सभी महालेखाकार ।
- 5- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

(के०के० जैसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार